तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 26/2025	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलम जारी हुए
10—9—2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या— 1 (एक) जितेन्द्र पुत्र श्री ईश्वरदास वैष्णव, जाति— वैष्णव, निवासी— एन.एस.पी. स्कूल के पास, आदर्श नगर रोड़, सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरका देवी), झोरा मगरा होटल, गोयली चौराया, सिरोही, तहसील व जिला— सिरोही, प्रतिवादी संख्या—2 (दो) श्रीमती सरस्वती देवी पत्नि श्री ईश्वरदास वैष्णव, जाति— वैष्णव, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरका देवी), झोरा मगरा होटल, गोयली चौराया, सिरोही, तहसील व जिला— सिरोही, प्रतिवादी संख्या 3 (तीन) श्रवण कुमार जाट, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स काशी विश्वनाथ एन्टरप्राईजेज, बेनीवाल भवन, केन्द्राचल के सामने, न्यू पाली रोड़, कुडी, जोधपुर एवं प्रतिवादी संख्या 4 (चार) भैरुगिरी गोस्वामी, अधिकृत प्रतिनिधि, M/s Bharkadevi Icecream, Block No.23/B Nandida Chawkdi, Ena Plasana Road, Tal. Bardoli, Dist. Surat (Guj.) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22—4—2024 को फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरका देवी), झोरा मगरा होटल, गोयली चौराया, सिरोही, तहसील व जिला— सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता जितेन्द्र पुत्र श्री ईश्वरदास वैष्णव से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ रबडी कुल्फी (ब्राण्ड भरकादेवी) का नमूना संख्या S-2321, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट क्रमांक:**L.S./590/Act/2024/615** दिनांक 09.5.2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12—8—2025 को प्रतिवादी जितेन्द्र पुत्र ईश्वरदास वैष्णव ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जबाव प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से भी जुर्म स्वीकार करना जबाव में अंकित करते हुए प्रकरण का निस्तारण कराने का अनुरोध किया है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुए व न ही इनकी ओर से कोई जबाव प्रस्तुत हुआ। अतः प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है। हमनें प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 22—4—2024 को समय 03—30 पी.एम. पर फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरकादेवी), झोरा मगरा होटल, गोयली चौराया, सिरोही पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी जितेन्द्र पुत्र श्री ईश्वरदास वैष्णव, जाति-- वैष्णव, निवासी--घांचीवाडा, सिरोही उपस्थित मिले। श्री दिलीप ....लगातार	

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 26/2025	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरकादेवी), झोरा मगरा होटल, गोयली चौराया, सिरोही के निरीक्षण के दौरान फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरकादेवी), झोरा मगरा होटल, गोयली चौराया, सिरोही की दुकान में आमजन को विक्रय करने हेतु फ्रीजर में खाद्य पदार्थ रबडी कुल्फी (ब्राण्ड भरकादेवी) के लगभग 150 पीस रखे हुए थे, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की सूचना प्रतिवादी विक्रेता जितेन्द्र पुत्र श्री ईश्वरदास को गवाह श्री चन्दनदास, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरकादेवी) की दुकान में फ्रीजर के अन्दर आमज़न के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ रबडी कुल्फी (ब्राण्ड भरकादेवी) लगभग 150 पीस में से रबडी कुल्फी (ब्राण्ड भरकादेवी) के 24 पीस (प्रत्येक 48–50 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 480/– (अक्षरे रुपये चार सौ अस्सी मात्र) अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा रबडी कुल्फी (ब्राण्ड भरकादेवी) के खरीदशुदा 24 पीस को खालेकर हिला मिलाकर एकरुप करके इस खरीदशुदा रबडी कुल्फी (ब्राण्ड भरकादेवी) को प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी एवं खाली प्लास्टिक शीशीयों में बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में फार्मेलीन की 24–24 बूंदे डालकर प्रत्येक नमूना शीशी को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2321, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ रबडी कुल्फी (ब्राण्ड भरकादेवी) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता जितेन्द्र पुत्र श्री ईश्वरदास वैष्णव एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा रबडी कुल्फी (ब्राण्ड भरकादेवी) की चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा खरीदशुदा चारों नमूना शीशीयों/भागों पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2321 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता जितेन्द्र पुत्र श्री ईश्वरदास वैष्णव व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता जितेन्द्र पुत्र श्री ईश्वरदास वैष्णव व गवाह तथा श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म ....लगातार	

अधि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** F.S.S.Act Case No. 26/2025	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलने जारी हुए

नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 29–4–2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 22–4–2024 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22–4–2024 को फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरकादेवी), झोरा मगरा होटल, गोयली चौराया, सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता जितेन्द्र पुत्र श्री ईश्वरदास वैष्णव से खाद्य पदार्थ रबडी कुल्फी (ब्राण्ड भरकादेवी) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये खाद्य पदार्थ रबडी कुल्फी (ब्राण्ड भरकादेवी) के नमूना संख्या S-2321 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक **L.S./590/Act/2024/615** दिनांक 09–5–2024 में खाद्य पदार्थ रबडी कुल्फी (ब्राण्ड भरकादेवी) का नमूना संख्या S-2321, अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरकादेवी), झोरा मगरा होटल, गोयली चौराया, सिरोही की प्रोपराईटर प्रतिवादी संख्या 2 (श्रीमती सरस्वती देवी पत्नि श्री ईश्वरदास वैष्णव, जाति– घांची, निवासी–घांचीवाडा, सिरोही) है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2 (श्रीमती सरस्वती देवी पत्नि श्री ईश्वरदास वैष्णव) की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स श्रीजी आईसक्रीम (भरकादेवी), झोरा मगरा होटल, गोयली चौराहा, सिरोही द्वारा रबडी कुल्फी (ब्राण्ड भरकादेवी) को मैसर्स काशी विश्वनाथ एन्टरप्राईजेज, बेनीवाल भवन, न्यू पाली रोड़, कुडी, जोधपुर से जरिये बिल क्रय किया गया था जो प्रतिवादी संख्या 3 (श्रवण कुमार जाट) की प्रोपराईटरी फर्म है तथा प्रतिवादी श्रवण कुमार जाट की फर्म मैसर्स काशी विश्वनाथ एन्टरप्राईजेज द्वारा रबडी कुल्फी (ब्राण्ड भरकादेवी) को M/s Bharkadevi Icecream, Block No.23/B Nandida Chawkdi, Ena Plasana Road, Tal. Bardoli, Dist. Surat से क्रय किया गया था, जो खाद्य पदार्थ रबडी कुल्फी (ब्राण्ड भरकादेवी) की निर्माता एवं पैकर फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार अमानक (sub-standard) खाद्य सामग्री के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु उस खाद्य पदार्थ की निर्माता एवं पैकर उत्तरदायी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि M/s Bharkadevi Icecream, Block No.23/B Nandida Chawkdi, Ena Plasana Road, Tal. Bardoli, Dist. Surat द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ रबडी कुल्फी (ब्राण्ड भरकादेवी) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की

........लगातार

पीठा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 26/2025	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ रबडी कुल्फी (ब्राण्ड भरका देवी) (नमूना संख्या S-2321) के विक्रय हेतु प्रतिवादी फर्म M/s Bharkadevi Icecream, Block No.23/B Nandida Chawkdi, Ena Plasana Road, Tal. Bardoli, Dist. Surat (Guj.) पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी M/s Bharkadevi Icecream, Block No.23/B Nandida Chawkdi, Ena Plasana Road, Tal. Bardoli, Dist. Surat के अधिकृत प्रतिनिधि प्रतिवादी भैरुगिरी गोस्वामी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 10-10-2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)